दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षितः 07.01.2025
निर्णय पारित: 30.01.2025

आ.प्र.अ.(मू.प.) 84/2024
FAO(OS) 84/2024

चंद्र भल्ला ....अपीलार्थी

बनाम

राजीव भटनागर .....प्रत्यर्थी

<u>इस मामले में उपस्थित हुए अधिवक्तागण:</u>

अपीलार्थी की ओर से : सुश्री बीनाशॉ सोनी और सुश्री मानसी जैन, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी की ओर से : सुश्री अनुसूया सलवान, श्री रचित वाधवा एवं श्री बंकिम गर्ग, अधिवक्ता।

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति श्री विभु बाखरू
माननीय न्यायमूर्ति श्री तुषार राव गेडेला

<u>निर्णय</u>

<u>न्या. तुषार राव गेडेला,</u>

1. वर्तमान अपील दिनांक 08.04.2024 को माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा सि.वा.(मू.प.) 619/2022 शीर्षक *चंदर भल्ला बनाम राजीव भटनागर* में पारित आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसके द्वारा प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अर्थात् "सीपीसी") के आदेश XXXVII नियम 3(5) के अंतर्गत प्रतिरक्षा हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया था, को बिना किसी शर्त के स्वीकार किया गया है।

2. तथ्य, जो अनावश्यक विवरणों से रहित हैं तथा वर्तमान विवाद से संबंधित हैं और जिन्हें अपील तथा विवादित आदेश से संकलित किया गया है, इस प्रकार हैं:-

(क) अपीलार्थी का यह मामला है कि प्रत्यर्थी उसका दूर का संबंधी है, जिसने अत्यधिक धन की आवश्यकता होने के कारण अपीलार्थी से ₹7.5 करोड़ का व्यक्तिगत ऋण माँगा और 12% वार्षिक ब्याज देने का प्रस्ताव किया। यह कहा गया है कि अपीलकर्ता ने उक्त ऋण आरटीजीएस तथा कोटक महिंद्रा बैंक पर आहरित चेकों के माध्यम से दिनांक 12.12.2017 से 26.03.2019 की अवधि में प्रदान किया, जिन्हें प्रतिवादी द्वारा विधिवत भुनाया गया। यह भी कहा गया है कि उक्त ऋण के अतिरिक्त प्रतिवादी ने अपीलकर्ता की कंपनी *मेसर्स ग्रांड प्रिक्स इंजीनियरिंग प्रा. लि.* से ₹2.5 करोड़ का एक अन्य ऋण

भी लिया था, जो अब भी बकाया है और जिसके लिए पृथक वाद दायर किया गया है।

(ख) प्रत्यर्थी ने जुलाई 2019 तक भुगतान करना जारी रखा। हालांकि, अगस्त 2019 से उसने पुनर्भुगतान में चूक करना शुरू कर दिया और आगे के ऋणों की मांग की, जिसे अपीलकर्ता ने पिछले ऋण की बकाया राशि का भुगतान न होने के कारण अस्वीकार कर दिया। प्रत्यर्थी ने उस समय प्रचलित महामारी का हवाला देते हुए सितंबर 2021 तक बकाया ऋण राशि और ब्याज राशि चुकाने के लिए समय मांगा।

(ग) उपरोक्त के अनुसरण में इस पर जोर दिया गया है कि पक्षकारों ने मौखिक ऋण की शर्तों को लिखित रूप में अभिलिखित करने का निर्णय लिया। तदनुसार, दिनांक 15.09.2021 को अपीलकर्ता और प्रत्यर्थी के मध्य एक ऋण अनुबंध निष्पादित हुआ, जिसके अंतर्गत प्रत्यर्थी ने विधिवत स्वीकार किया कि उसने अपीलकर्ता से ₹7.5 करोड़ का व्यक्तिगत ऋण 12% वार्षिक ब्याज दर पर प्राप्त किया है। उक्त ऋण अनुबंध में प्रत्यर्थी ने यह भी सहमति व्यक्त की कि वह अपीलकर्ता द्वारा मांग किए जाने पर संपूर्ण ऋण राशि 90 दिनों के भीतर वापस करेगा।

(घ) अपीलकर्ता का यह आरोप है कि प्रत्यर्थी ने मूलधन राशि सहित ब्याज का भुगतान, जैसा कि उसने आश्वासन दिया था, नहीं किया। फलस्वरूप, दिनांक 24.01.2022 को अपीलकर्ता ने ई-मेल द्वारा ऋण राशि की वापसी, साथ ही दिनांक 01.08.2019 से संचित ब्याज की मांग की। तत्पश्चात्, अपीलकर्ता ने दिनांक 14.02.2022 को पुनः पत्र लिखकर संपूर्ण ऋण राशि तथा ब्याज की अदायगी की मांग की, जिसका प्रत्यर्थी ने दिनांक 15.02.2022 को ई-मेल द्वारा उत्तर दिया और ऋण की स्वीकृति भी दी, तथापि प्रत्यर्थी ने कोई भुगतान नहीं किया।

(ङ) धन की वसूली के प्रयास में, अपीलकर्ता ने दिनांक 03.05.2022 को ई-मेल द्वारा ऋण राशि की वापसी, साथ ही ब्याज की अदायगी की मांग की। उक्त ई-मेल का प्रत्यर्थी ने उसी दिन, अर्थात् दिनांक 03.05.2022 को उत्तर दिया और बकाया ऋण राशि के निपटान हेतु कुछ शर्तें प्रस्तुत कीं, जो अपीलकर्ता द्वारा दिए गए ऋण तथा उस कंपनी *मेसर्स ग्रांड प्रिक्स इंजीनियरिंग प्रा. लि.* (जिसमें अपीलकर्ता निदेशक है) द्वारा दिए गए ऋण दोनों पर लागू होतीं। तथापि, अपीलकर्ता तथा कंपनी ने उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, इस आधार पर कि प्रस्ताव में बकाया ब्याज की राशि सम्मिलित नहीं थी और पुनर्भुगतान अनुसूची पाँच वर्षों की अवधि में फैली हुई थी।

(च) इसके बाद, प्रत्यर्थी ने बिना ब्याज के और 6 साल की अवधि में ऋण राशि का भुगतान करने की पेशकश करते हुए एक और ईमेल प्रेषित किया, जिस पर अपीलकर्ता सहमत नहीं था। इसके बाद, अपीलकर्ता ने वाद पूर्व मध्यस्थता का रुख किया, जिसके दौरान प्रत्यर्थी ने अवास्तविक प्रस्ताव दिए, जो अपीलकर्ता को स्वीकार्य नहीं थे।

(छ) उक्त परिस्थितियों से उत्पन्न प्रत्यर्थी द्वारा ऋण राशि का भुगतान न किए जाने से आहत होकर, अपीलकर्ता ने मूल वाद दायर किया, जिसमें उसने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की आदेश XXXVII के अंतर्गत ₹10,31,34,247/- की डिक्री पारित किए जाने की प्रार्थना की।

(ज) प्रत्यर्थी ने यहां आदेश XXXVII नियम 3(5) के तहत प्रतिरक्षा की अनुमति के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 08.04.2024 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई थी। इससे व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने वर्तमान अपील दायर की है।

<u>अपीलार्थी के प्रतिविरोध:</u>

3. श्रीमती बीनाशॉ सोनी, अपीलकर्ता की अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी ने अपने प्रतिरक्षण के आवेदन में अपीलकर्ता द्वारा दायर किसी भी

दस्तावेज़ पर अपने हस्ताक्षरों का विवाद नहीं किया है, बल्कि केवल एक अस्पष्ट, कपटपूर्ण और निराधार आपत्ति उठाई है कि उक्त हस्ताक्षर अपीलकर्ता द्वारा धमकी और दबाव के तहत लिए गए थे। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्रत्यर्थी ने ₹1 करोड़ की नकद अदायगी का एक अस्पष्ट दावा किया है, जिसके समर्थन में कोई विवरण, प्रमाण, निवेश की शर्तें अथवा निवेश से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, यहाँ तक कि जिस कंपनी/फर्म में कथित निवेश किया गया है उसका नाम भी प्रतिवादी द्वारा प्रकट नहीं किया गया।

4. अपीलकर्ता की अधिवक्ता ने प्रतिवादी के लेखा-बही का हवाला देते हुए प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी ने इस तथ्य का कहीं भी विवाद नहीं किया कि उसने जुलाई 2019 तक निरंतर और नियमित रूप से ब्याज का भुगतान किया था, जब कुछ चूकें प्रारंभ हुईं। उन्होंने बल दिया कि प्रत्यर्थी द्वारा केवल यह निराधार आरोप लगाया गया है कि दिनांक 15.09.2021 का ऋण अनुबंध दबाव और धमकी के तहत हस्ताक्षरित कराया गया था, जबकि इस निराधार आरोप के समर्थन में कोई भी दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके विपरीत, अधिवक्ता ने यह इंगित किया कि प्रतिवादी ने वास्तव में अपीलकर्ता के साथ वार्ता और निपटान में भाग लिया था। इस संदर्भ में उन्होंने कई दस्तावेजों का उल्लेख किया जो अभिलेख पर उपलब्ध हैं और जिनका प्रत्यर्थी ने विवादित नहीं किया है। विशेष रूप से उन्होंने प्रत्यर्थी द्वारा प्रतिरक्षा के आवेदन हेतु

दायर आवेदन के अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 10 का उल्लेख किया, यह दर्शाने के लिए कि ऋण अनुबंध दिनांक 15.09.2021 के हस्ताक्षर और निष्पादन के संबंध में दोनों अनुच्छेदों में स्पष्ट विरोधाभास है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि यदि प्रत्यर्थी का कथन सत्य होता, तो उसने पुलिस अधिकारियों के समक्ष कोई शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई। वास्तव में, उन्होंने प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 03.05.2022 को अपीलकर्ता को भेजे गए ई-मेल का उल्लेख किया, जिसमें प्रतिवादी ने पांच वर्षों की अवधि में किस प्रकार मूलधन राशि किस्तों में चुकाई जाएगी, उसका विवरण दिया था। अधिवक्ता के अनुसार, अपीलकर्ता द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए इतने प्रबल दस्तावेज़ी साक्ष्य, जो प्रत्यर्थी द्वारा देयता की स्वीकृति को दर्शाते हैं, के आलोक में आक्षेपित आदेश को प्रत्यर्थी को बिना शर्त प्रतिरक्षण की अनुमति प्रदान करने के बजाय, उक्त आवेदन को अस्वीकार कर वाद का डिक्री पारित करना चाहिए था।

5. विद्वान अधिवक्ता ने यह दृढ़ता से प्रस्तुत किया कि अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रतिरक्षा अस्पष्ट, कपटपूर्ण और केवल दिखावटी है। उनका कहना है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXXVII के अंतर्गत संक्षिप्त वाद में प्रतिरक्षण की अनुमति के प्रश्न पर न्यायालयों द्वारा अपनाई जाने वाली विधि विधिवत स्थापित है, और यदि न्यायालय यह पाए कि प्रत्यर्थी की प्रतिरक्षा अस्पष्ट, कपटपूर्ण और केवल दिखावटी है, तो सामान्यतः वाद में डिक्री पारित की जानी चाहिए। उन्होंने यह प्रार्थना की कि अपीलकर्ता के

समर्थन में उपलब्ध प्रचुर दस्तावेज़ी साक्ष्यों के आलोक में, माननीय एकल न्यायाधीश का आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाए और अपीलकर्ता के पक्ष में डिक्री पारित की जाए।

<u>प्रत्यर्थी के प्रतिविरोध:</u>

6. प्रत्यर्थी की विद्वान अधिवक्ता सुश्री अनुसूया सलवान अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संबोधित तर्कों का प्रतिवाद करती हैं। वह आक्षेपित निर्णय में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए कारणों और निष्कर्षों के समर्थन में सामान्य रूप से तर्कों को संबोधित करती हैं। वह कहती हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने आवेदन के प्रतिरक्षा करने की अनुमति के अपने आवेदन में प्रत्यर्थी द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रतिरक्षाओं की उचित प्रशंसा की है। वह प्रस्तुत करती है कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अपीलकर्ता से प्राप्त राशि निवेश के रूप में थी न कि ऋण के रूप में। वह कहती है कि प्रत्यर्थी पर अनुचित दबाव और जबरदस्ती करके दिनांक 15.09.2021 के ऋण समझौते को जबरन कैसे निष्पादित किया गया था, इस बारे में विवाद को भी विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सही माना गया है कि वे ऐसे विवाद्यक हैं जो प्रकृति में विचारण योग्य हैं। इसी तरह, विद्वान अधिवक्ता यह भी तर्क देते हैं कि अपीलकर्ता द्वारा जिन वॉट्सऐप संदेशों पर भरोसा किया गया था, वे भी गुंडों और गुर्गों द्वारा से दबाव डालकर प्रत्यर्थी से निकाले गए थे। वह तर्क देती है कि जो भी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी,

उन्हें साक्ष्य के रूप में उचित स्तर पर दाखिल किया जाएगा। वह कहती हैं कि प्रतिरक्षा की अनुमति मांगने वाले आवेदन पर विचार करने के चरण में, न्यायालयों को केवल इस बात की जांच करने की आवश्यकता है कि क्या किसी विशेष मामले में प्रतिवादी प्रतिरक्षण करने में समर्थ है जो प्रकृति में विचारण योग्य है। अपने प्रतिविरोधों के समर्थन में, वह ***बी. एल. कश्यप एंड संस लिमिटेड बनाम जेएमएस स्टील्स एंड पावर कॉर्पोरेशन व अन्य, (2022) 3 एससीसी 294*** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा जताती हैं।

7. सुश्री सलवान के अनुसार एक और प्रासंगिक विवाद्यक यह है कि हालांकि ऋण को वर्ष 2017 में विस्तारित किया गया था और कथित चूक अगस्त, 2019 से हुई थी, दिलचस्प रूप से, ऋण समझौते को दिनांक 15.09.2021 को निष्पादित किया गया था। उनके अनुसार, यह अपने आप में जबरदस्ती की ओर इशारा करने वाला एक प्रासंगिक कारक है, जो अपने आप में एक विचारणीय विवाद्यक है। इस प्रकार, उनके अनुसार, वर्तमान अपील गुणागुण से रहित है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

<u>विश्लेषण एवं निष्कर्ष:-</u>

8. यह सामान्य बात है कि ***मेचेलेक इंजीनियर्स एंड मैन्युफैक्चरर बनाम बेसिक इक्विपमेंट कारपोरेशन, (1976) 4 एससीसी 687*** में पहले के निर्णय के विपरीत और कुछ समय के लिए, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXXVII नियम 3 के तहत प्रतिरक्षण की अनुमति मांगने वाले आवेदनों पर

विचार करते समय लागू होने वाले और लागू किये गए सिद्धांतों के बारे में विधि में सामंजस्य स्थापित किया गया है। ***बी. एल. कश्यप एंड संस लिमिटेड (पूर्वोक्त)*** मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय की सूक्षम्ता से जांच करने के बाद ***मेशेलेक इंजीनियर्स (पूर्वोक्त)*** **तथा** ***आई.डी.बी.आई. ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड बनाम हबटाउन लिमिटेड, (2017) 1 एससीसी 568***, में निम्नवत अभिनिर्धारित किया:

> ***"33.*** *यह तुरंत स्पष्ट है कि भले ही आईडीबीआई ट्रस्टीशिप में, इस न्यायालय ने पाया कि आदेश 37 के नियम 3 के संशोधन के मद्देनजर मेशेलेक इंजीनियर्स मामले के पैरा 8 में वर्णित सिद्धांतों को हटा दिया जाएगा, लेकिन मूल विषय पर, सिद्धांत वही रहते हैं कि प्रतिरक्षा करने की अनुमति (शर्तों के साथ या बिना) देना सामान्य नियम है और प्रतिरक्षा करने की अनुमति से इनकार करना एक अपवाद है। दूसरे शब्दों में कहें तो, आम तौर पर, प्रतिरक्षा की अनुमति के लिए प्रार्थना को ऐसे मामलों में अस्वीकार किया जाना चाहिए जहां प्रत्यर्थी के पास व्यावहारिक रूप से कोई प्रतिरक्षा नहीं है और वह न्यायालय के समक्ष विचारणीय विवाद्यक की एक झलक मात्र भी देने में असमर्थ है।*
>
> ***33.1.*** *जैसा कि देखा गया है, यदि प्रत्यर्थी न्यायालय को संतुष्ट करता है कि उसके पास पर्याप्त बचाव है यानी एक प्रतिरक्षा जिसके सफल होने की संभावना है, तो वह प्रतिरक्षा के लिए बिना शर्त अनुमति का हकदार है। दूसरी स्थिति में, जहां प्रत्यर्थी एक निष्पक्ष या प्रामाणिक या उचित बचाव का संकेत देने वाले विचारणीय विवाद्यकों को उठाता है, हालांकि एक सकारात्मक रूप से कुशल प्रतिरक्षा नहीं है, वह आमतौर पर बचाव के लिए बिना शर्त अनुमति का हकदार होगा। तीसरी स्थिति में, जहां प्रत्यर्थी विचारणीय विवाद्यक उठाता है, लेकिन यह संदिग्ध रहता है कि क्या प्रत्यर्थी सद्भावना से या विवाद्यकों की वास्तविकता के बारे में इसे उठा रहा है, तो विचारण न्यायालय से आशा की जाती है कि वह एक ओर वाणिज्यिक कारणों के शीघ्र निपटान की आवश्यकताओं को संतुलित करेगी और दूसरी ओर अनुचित रूप से गंभीर आदेशों द्वारा विचारणीय विवाद्यकों को बंद नहीं करेगी। इसलिए, विचारण न्यायालय वाद के समय या तरीके*

के साथ-साथ विचारण न्यायालय में भुगतान या प्रतिभूति प्रदान करने दोनों के बारे में शर्तें लगा सकती है। चौथी स्थिति में, जहां प्रस्तावित प्रतिरक्षा प्रशंसनीय लेकिन असंभव प्रतीत होती है, वाद के समय या तरीके के साथ-साथ न्यायालय में भुगतान या प्रतिभूति प्रदान करने या दोनों के बारे में अधिक शर्तें लगाई जा सकती हैं, जो न्यायसंगत और अपेक्षित ब्याज के साथ पूरी मूल राशि तक विस्तारित हो सकती हैं।

33.2. *इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि पर्याप्त प्रतिरक्षा के मामले में, प्रतिवादी बिना शर्त अनुमति का हकदार है; और यहां तक कि एक निष्पक्ष और उचित बचाव पर एक विचारणीय विवाद्यक के मामले में, प्रत्यर्थी आमतौर पर बचाव के लिए बिना शर्त अनुमति का हकदार है। प्रत्यर्थी के आशय या विचारणीय विवाद्यकों की वास्तविकता और प्रतिरक्षा की संभावना के बारे में संदेह के मामले में, अनुमति अभी भी दी जा सकती है, लेकिन वाद या भुगतान या सुरक्षा प्रदान करने के समय या तरीके के रूप में शर्तें लगाते हुए। इस प्रकार, संदेह या आपत्तियों के ऐसे मामलों में भी, प्रतिरक्षा की अनुमति से इनकार करना नियम नहीं है; लेकिन अनुमति देते समय उचित शर्तें लगाई जा सकती हैं। यह केवल उस मामले में है जब प्रतिवादी के पास कोई पर्याप्त प्रतिरक्षा को होना नहीं पाया जाता है और/या न्यायालय के विचार के साथ कोई वास्तविक विचारणीय विवाद्यक नहीं उठाया जाता है कि प्रतिरक्षा तुच्छ या परेशान करने वाली है कि प्रतिरक्षा की अनुमति से इनकार किया जाना है और वादी तुरंत निर्णय पाने का हकदार है। बेशक, उस मामले में जहां वादी द्वारा दावा की गई राशि का कोई भी हिस्सा प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किया जाता है, प्रतिरक्षा की अनुमति तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि इस तरह से स्वीकार की गई राशि प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में जमा नहीं की जाती है।*

33.3. *इसलिए, प्रतिरक्षा की अनुमति मांगने वाले आवेदन पर विचार करते समय, अग्रसर होना उचित नहीं होगा जैसे कि अनुमति से इनकार करना नियम है या प्रतिरक्षा की अनुमति केवल असाधारण मामलों में दी जानी है या केवल उन मामलों में दी जानी है जहां ये प्रतिरक्षा योग्य प्रतीत होता है। यहां तक कि विचारणीय विवाद्यक को उठाने के मामले में भी, जिसमें प्रतिवादी अपने उपयुक्त या उचित प्रतिरक्षा का संकेत देता है, वह आमतौर पर प्रतिरक्षा के लिए बिना शर्त अनुमति का हकदार है जब तक कि अनुमति से इनकार करने का कोई ठोस कारण न हो। यह बलपूर्वक दोहराया जाता है कि भले ही प्रतिरक्षा की संभावना के बारे में कोई उचित संदेह बना*

रहे, अनुमति देते समय ऊपर बताई गई कठोर या उच्च शर्तें लगाई जा सकती हैं, लेकिन अनुमति से इनकार करना आम तौर पर केवल ऐसे मामलों में ही स्वीकार किया जाएगा जहां प्रतिवादी कोई वास्तविक विचारणीय विवाद्यक दर्शाने में विफल रहता है और न्यायालय प्रतिरक्षा को तुच्छ या परेशान करने वाला पाती है।"

उपरोक्त विनिश्चय से यह स्पष्ट है कि यदि प्रतिवादी ऐसी प्रतिरक्षा प्रस्तुत करता है जो प्रशंसनीय लेकिन असंभव प्रतीत होती है, तो वाद के समय या तरीके के साथ-साथ न्यायालय में भुगतान या प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने या न्यायसंगत और आवश्यक ब्याज के साथ पूरी मूल राशि तक विस्तारित दोनों के बारे में सख्त शर्तें न्यायालय द्वारा निर्देशित की जा सकती हैं।

9. उपरोक्त विनिश्चय को लागू करते हुए, हमें वर्तमान मामले में प्राप्त तथ्यों की जांच करनी चाहिए। सुश्री सोनी ने बही खाते का विवरण, कथित ऋण समझौता, बैंक को प्रत्यर्थी से निकले पत्र और ऋण को स्वीकार करने वाले ई-मेल और प्रत्यर्थी द्वारा जारी किए गए निपटान की शर्तों जैसे दस्तावेजों को दिखाया और संदर्भित किया है। यद्यपि, प्रथम दृष्टया विचार करने पर, यह न्यायालय सुश्री सोनी द्वारा की गई दलीलों को सारभूत पाता है, फिर भी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता द्वारा प्रबल रूप से प्रतिवाद किए जाने की मांग की गई प्रतिरक्षा के अतिरिक्त, हम पाते हैं कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ने प्रतिरक्षा के अन्य आधार भी लिए हैं। एक ऐसा आधार जो हमारी सराहना पाता है, वह है इस न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता पर आपत्ति का है। प्रतिरक्षा की अनुमति मांगने वाले आवेदन के पैरा 17 में, प्रत्यर्थी ने स्पष्ट रूप

से कहा है कि ऋण समझौते को गुड़गांव में निष्पादित किया गया था और इस प्रकार, दिल्ली उच्च न्यायालय अधिकारिता विहीन है। उक्त तर्क की प्रशंसा हेतु, यह उपयुक्त उद्धरण पैरा 17 का होगाः

> *"17. यह प्रस्तुत किया जाता है कि माननीय न्यायालय को वर्तमान वाद पर क्षेत्रीय अधिकारिता प्राप्त नहीं है। यह तथ्य निर्विवाद है कि ऋण अनुबंध दिनांक 15.09.2021 को गुरुग्राम में निष्पादित हुआ था, अतः इस माननीय न्यायालय को वर्तमान वाद पर अधिकारिता प्राप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त, उक्त ऋण अनुबंध के निष्पादन की तिथि पर प्रतिवादी गुरुग्राम में निवास कर रहा था। कथित ऋण अनुबंध में यह उल्लेख है: "राजीव भटनागर, निवासी सी-28, पुष्पांजलि फार्म्स, बिजवासन, नई दिल्ली-110061"। परंतु, वादी ने दिनांक 28.10.2022 को कुछ दस्तावेज दाखिल किए हैं, जिनमें विक्रय विलेख दिनांक 27.07.2016 सम्मिलित है, जिसके द्वारा प्रतिवादी ने संपत्ति संख्या सी-28, पुष्पांजलि फार्म्स, बिजवासन, नई दिल्ली-110061 को विक्रय कर दिया था। अतः दिनांक 15.09.2021 को प्रतिवादी उक्त पते पर निवासरत नहीं था। इस प्रकार, माननीय न्यायालय को वर्तमान वाद पर क्षेत्रीय अधिकारिता प्राप्त नहीं है और वाद को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 10 के अंतर्गत वादी को लौटाया जाना चाहिए, ताकि इसे सक्षम न्यायालय, अर्थात् गुरुग्राम के न्यायालय में, वर्तमान परिस्थितियों में प्रस्तुत किया जा सके।*

10. उपरोक्त के अतिरिक्त, इस न्यायालय ने पाया कि अपीलार्थी/वादी ने अपने प्रार्थना खंड में 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज की मांग की है, जबकि दिनांक 15.09.2021 के कथित ऋण समझौता 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से देय ब्याज का संकेत देता है। हमारी सुविचारित राय में, यह तथ्य स्वयं प्रत्यर्थी द्वारा उठाए गए विवाद्यकों के अतिरिक्त एक विचारणीय विवाद्यक के समान होगा। इस स्तर पर, इस न्यायालय के लिए, वह भी, अपीलीय कार्यवाहियों में, दस्तावेजी साक्ष्य या संबोधित तर्कों के संबंध में कोई निर्णायक

राय या निष्कर्ष देना उचित नहीं होगा ताकि वह किसी भी पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सके।

11. जैसा कहा गया, क्योंकि इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी का मामला चौथी श्रेणी के अंतर्गत आता है जैसा कि ***बी. एल. कश्यप एंड संस लिमिटेड (पूर्वोक्त)*** मामले में उ च्चतम न्यायालय के निर्णय के पैरा 33.1 में परिकल्पित है। यह न्याय के हित में और इस प्रकार आदेश सिद्धांतों के अनुरूप भी होगा कि प्रत्यर्थी को अपीलकर्ता के हितों को सुरक्षित करने के लिए जमा करने का निर्देश दिया जाए। स्पष्ट रूप से, उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए प्रत्यर्थी बिना शर्त अनुमति पाने का हकदार नहीं है।

12. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी को महानिबंधक के नाम पर चार सप्ताह की अवधि के भीतर इस न्यायालय में रु. 10,31,34,247 की राशि जमा करने का निर्देश दिया जाता है, जो इसे स्वतः नवीनीकरण खंड के साथ एफडीआर वाले ब्याज में तुरंत निवेश करेगा। इस तरह की जमा राशि के अधीन, प्रत्यर्थी को उसके बाद चार सप्ताह के भीतर अपना लिखित बयान दायर करने की अनुमति है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि इसे जमा नहीं किया जाता है, तो प्रतिवादी प्रतिरक्षा हेतु किसी भी अनुमति का हकदार नहीं होगा।

13. अपील का निपटान उपरोक्त शर्तों में किया जाता है जिसमें जुर्माने के विषय में कोई आदेश नहीं।

14. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटान किया जाता है।

न्या. तुषार राव गेडेला,

न्या. विभु बाखरू,

30 जनवरी, 2025/*आरएल*

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*